

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्यप्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-mail: Bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक BPLLP 2868/एल. पी. 74/29(1)/नग्रानि/जिका/2016 भोपाल, दिनांक /1/2017
प्रति,

मैसर्स अग्रवाल इन्फ्रा

द्वारा श्री संजीव अग्रवाल आत्मज श्री एस. के. अग्रवाल

250, सागर प्लाजा, एम. पी. नगर, जोन-2,

भोपाल, म. प्र.

विषय:- ग्राम बावड़ियां कलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक-
(अक्स अनुसार) 142/1/1, 142/1/2, 142/1/3, 142/1/4, 142/1/5,
182/6/2, 139/141/2/3, 139/141/2/ख, 182/5/2, 182/5/3/क
182/5/3/क/1, 182/5/1, 182/6/1/ख, 182/6/3/1/घ, 186/6/2/1
(पी-II अनुसार) 142/1/1, 142/1/2, 142/1/3, 142/1/4, 142/1/5,
182/6/2, 139/141/2/3, 139/141/2/ख, 182/5/2, 182/5/3/ख,
182/5/3/क/1, 182/5/1, 182/6/3/1/घ, 182/6/2/1, 182/5/2,
182/5/3/5/क/2 कुल रकबा 2.937 हेक्टेयर (29370.0 वर्गमीटर) पर आवासीय
भूखण्डीय एवं बहुइकाई विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

परियाजना का नाम:- "सागर हेरिटेज"

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 28/7/2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्राम बावड़ियां कलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि
खसरा क्रमांक- (अक्स अनुसार) 142/1/1, 142/1/2, 142/1/3, 142/1/4, 142/1/5,
182/6/2, 139/141/2/3, 139/141/2/ख, 182/5/2, 182/5/3/क 182/5/3/क/1,
182/5/1, 182/6/1/ख, 182/6/3/1/घ, 186/6/2/1 (पी-II अनुसार) 142/1/1, 142/1/2,
142/1/3, 142/1/4, 142/1/5, 182/6/2, 139/141/2/3, 139/141/2/ख, 182/5/2,
182/5/3/ख, 182/5/3/क/1, 182/5/1, 182/6/3/1/घ, 182/6/2/1, 182/5/2,
182/5/3/5/क/2 कुल रकबा 2.937 हेक्टेयर (29370.0 वर्गमीटर) पर आवासीय भूखण्डीय एवं बहुइकाई
विकास हेतु जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में " आवासीय मार्ग" "निर्दिष्ट" है, आवेदक
मैसर्स अग्रवाल इन्फ्रा द्वारा श्री संजीव अग्रवाल आत्मज श्री एस. के. अग्रवाल, 250, सागर प्लाजा, एम. पी.
नगर, जोन-2, भोपाल के साथ आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें आवासीय भूखण्डीय एवं विकास हेतु भोपाल
विकास योजना 2005 एवं म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्य प्रदेश
भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के
आधार पर प्रदान की जा रही है:-

(1) निम्नलिखित अधिनियम/नियम/समक्ष अधिकारियों तथा से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं उसके अंतर्गत तैयार आदर्श उपविधियों व तत्संबंधी नियम।
3. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन अधिनियम, 1956)
4. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल।
5. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल।
8. नजूल अधिकारी, भोपाल।

Signature valid

Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.01.10 09:50:30 IST

9. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग) से लगी भूमि के विकास के स्थिति में।
 10. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल।
 11. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर, व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)।
 12. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।
- (2) इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
 - (3) भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक 361/02/भो.वि.प्रा./2015, दिनांक 17/4/2016, 367/02/ भो.वि.प्रा./ दिनांक 17/4/2016 व 599/02/ भोपाल/दिनांक 14/7/2016 द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - (4) मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रुफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। तत्पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा।
 - (5) आवासीय भूखण्डीय विकास पर भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-2 के प्रावधान मान्य होंगे।
 - (6) एक आवासीय भूखण्ड पर एक आवासीय इकाई मान्य होगी।
 - (7) बहुइकाई मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-
 - (1) भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
 - (2) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम ओ एस रखे जावे।
 - (3) बहुमंजिला भवन में सामने से 9.0 मीटर, पीछे से 6.0 मीटर (न्यूनतम), दायें से 6.0 मीटर (न्यूनतम) एवं बांये से 6.0 मीटर (न्यूनतम)।
 - (4) एफ. ए. आर 1:1.25 (एक अनुपात एक दशमलव दो पॉंच) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (24.0 मीटर + स्टील पार्किंग)
 - (5) पार्किंग :- बहु इकाई आवास हेतु एक ई. सी. एस. प्रति 100.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 19 ई. सी. एस. की आवश्यकता होगी। स्टिल्ट में 30.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 13 ई. सी. एस., बेसमेन्ट में 35.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 6 ई. सी. एस. का प्रावधान है।
 - (6) परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
 - (8) परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
 - (9) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
 - (10) सीवेज/टोस अपशिष्ट को ट्रीटमेन्ट हेतु निर्धारित क्षमता ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया ताना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् उसको उपचारात्मक तरीके से कॉलोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
 - (11) संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्श/बटान में किसी भी प्रकार की विस्तार पर उसको पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/संस्था की होगी।
 - (12) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित एवं सुनिश्चित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जावे एवं अपूर्ण भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
 - (13) भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.01.30 14:50:30 IST

- 14) मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक- एस ओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई. आई. ए. क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होगा। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची की कंडिका 8 (क) के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1,50,000 वर्ग मीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8 (ख) के अनुसार 50 हेक्टर या उससे अधिक और/या 1,50,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृतिली जाना अनिवार्य है।
- 15) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर उपरोक्त माने के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया गया हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर पालिका/स्थानीय संस्था द्वारा दी जावे।
- 16) इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम, 1998 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।
- 17) प्रस्तावित अभिनयास में सामान्य श्रेणी की कुल 200 आवासीय इकाई एवं 139 आवासीय भूखण्ड एवं सामान्य भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं एवं प्रस्तावित कमजोर आय वर्ग के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम, 1998 के नियम 10 (4) अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानुसार बहु इकाई आवासीय योजना हेतु एल. आई. जी. हेतु 45.0 वर्ग मीटर के 21 आवासीय इकाईयों एवं ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 25.0 वर्गमीटर के 30 आवासीय इकाईयों का प्रावधान किया गया है। कृपया कालोनाइजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में इस बावत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
- 18) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 23.09.2016 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।
- 19) विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जाये। इस संबंध में प्रस्तुत अनुबन्ध/पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरान्त ही विकास अनुमति जारी की जाये।
- 20) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
- 21) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 क परिपेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रुपये 15,000/- चालान क्रमांक-MPT021720082016000001 दिनांक 20.08.2016 एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रुपये 2,20,300/- चालान क्रमांक-MPT021706122016000036 दिनांक 06.12.2016 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
- 22) यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञापत उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिये प्रयुक्त नहीं की जायेगी।
- 23) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउन्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे, इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
- 24) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साइज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

Signature Valid
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.01.19 19:50:30 IST

- (25) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबन्धित रहेगा।
- (26) संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- (27) यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
- (28) प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
- (29) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
- (30) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
- (31) प्रस्तावित योजना में पहुँच मार्ग हेतु कोई भी विवाद होता है, तो वह संस्था के स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (32) मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुये संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- (33) स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाइनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य प्रारंभ किया जावे।
- (34) नाले के किनारे से (राजस्व अभिलेख में दर्ज) 9.0 मीटर हरित क्षेत्र (खुला) रखना अनिवार्य होगा। नाले/नहर पुलिया/कल्वर्ट तैयार/बनाने में पूर्व संबंधित विभाग के समक्ष प्राधिकारी से लिखित अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
- (35) इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- (36) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
- (37) भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक-25/2012/सेशु, दिनांक 17.06.2014 के अनुसार भवन/बहुमंजिला भवन के निर्माण में एक से अधिक आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाता है तो उस पर सेवाकर देय है। अतः सेवाकर हेतु पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (38) प्रस्तावित स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 24.0 मीटर निर्दिष्ट है। अतः वर्तमान में मार्ग मध्य से 12.0 मीटर तक दोनो ओर मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।
- (39) नगर पालिका निगम, भोपाल द्वारा नजूल अनापत्ति प्राप्त कर उसकी समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- (40) आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम सागर हेरिटेज रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (41) नजूल अनापत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसका पालन सुनिश्चित करना होगा।
- (42) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म. प्र.

पृ. क्रमांक BPLLP 2868/एल. पी. 74/29(1)/29/नग्रानि/जिका/2016-17

दिनांक- / / 2017

प्रतिलिपि:-

Signature valid

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंगलूर) को दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनाएं।
2. आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल की ओर इस अनुज्ञा की शर्तों तथा संबंधित नियम के प्रावधानों का पालन एवं भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि अनुमति जारी कर भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख करने का कष्ट करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट WWW.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.01.10 09:50:30 IST

3. उपमहाप्रबन्धक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट WWW.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरी रिकॉर्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश" द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है, की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट WWW.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट WWW.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट WWW.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म. प्र.

Signature valid

Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.01.10 19:50:30 IST




SAGAR HERITAGE (BAWADIA KALAN)

सर्व मानवीय भूमि-स्वाधिन्य वा वसावनेय मधील हे



LAYOUT PLAN



LOCATION PLAN



Signature valid
Digitally signed by Shivkant Muddgal
Date: 2017.01.10 19:58:13 IST

AREA STATEMENT FOR MULTI UNIT DEVELOPMENT

TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS EXCLUDING HIGHWAY SCAM

REMARKS	PROPOSED
1. UNDEVELOPED LAND	496
2. AVAILABLE PLOT AREA	1.12
3. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	10.00
4. TOTAL NO. OF PLOTS	1000
5. SOIL REMEDIATION AND/OR	1000
6. CONVENIENT DEVELOPER WITH ONE FAMILY LAYOUTS AND BUILDING CLUSTERS	1000
7. PARKING	1000
8. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
9. AVAILABLE PLOT AREA	1000
10. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
11. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
12. AVAILABLE PLOT AREA	1000
13. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
14. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
15. AVAILABLE PLOT AREA	1000
16. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
17. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
18. AVAILABLE PLOT AREA	1000
19. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
20. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
21. AVAILABLE PLOT AREA	1000
22. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
23. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
24. AVAILABLE PLOT AREA	1000
25. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
26. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
27. AVAILABLE PLOT AREA	1000
28. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
29. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
30. AVAILABLE PLOT AREA	1000
31. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
32. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
33. AVAILABLE PLOT AREA	1000
34. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
35. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
36. AVAILABLE PLOT AREA	1000
37. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
38. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
39. AVAILABLE PLOT AREA	1000
40. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
41. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
42. AVAILABLE PLOT AREA	1000
43. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
44. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
45. AVAILABLE PLOT AREA	1000
46. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
47. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
48. AVAILABLE PLOT AREA	1000
49. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
50. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
51. AVAILABLE PLOT AREA	1000
52. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
53. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
54. AVAILABLE PLOT AREA	1000
55. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
56. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
57. AVAILABLE PLOT AREA	1000
58. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
59. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
60. AVAILABLE PLOT AREA	1000
61. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
62. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
63. AVAILABLE PLOT AREA	1000
64. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
65. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
66. AVAILABLE PLOT AREA	1000
67. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
68. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
69. AVAILABLE PLOT AREA	1000
70. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
71. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
72. AVAILABLE PLOT AREA	1000
73. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
74. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
75. AVAILABLE PLOT AREA	1000
76. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
77. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
78. AVAILABLE PLOT AREA	1000
79. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
80. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
81. AVAILABLE PLOT AREA	1000
82. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
83. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
84. AVAILABLE PLOT AREA	1000
85. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
86. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
87. AVAILABLE PLOT AREA	1000
88. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
89. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
90. AVAILABLE PLOT AREA	1000
91. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
92. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
93. AVAILABLE PLOT AREA	1000
94. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
95. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
96. AVAILABLE PLOT AREA	1000
97. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000
98. TOTAL LAND AREA IN SQ. METERS INCLUDING HIGHWAY SCAM	1000
99. AVAILABLE PLOT AREA	1000
100. HIGHWAY, CANAL, ROAD, RAIL, WATER BODY, TREE COVER, ETC.	1000

AREA STATEMENT OF PLOTTED OR

NO.	AREA	TOTAL AREA
1	1000	1000
2	1000	1000
3	1000	1000
4	1000	1000
5	1000	1000
6	1000	1000
7	1000	1000
8	1000	1000
9	1000	1000
10	1000	1000
11	1000	1000
12	1000	1000
13	1000	1000
14	1000	1000
15	1000	1000
16	1000	1000
17	1000	1000
18	1000	1000
19	1000	1000
20	1000	1000
21	1000	1000
22	1000	1000
23	1000	1000
24	1000	1000
25	1000	1000
26	1000	1000
27	1000	1000
28	1000	1000
29	1000	1000
30	1000	1000
31	1000	1000
32	1000	1000
33	1000	1000
34	1000	1000
35	1000	1000
36	1000	1000
37	1000	1000
38	1000	1000
39	1000	1000
40	1000	1000
41	1000	1000
42	1000	1000
43	1000	1000
44	1000	1000
45	1000	1000
46	1000	1000
47	1000	1000
48	1000	1000
49	1000	1000
50	1000	1000
51	1000	1000
52	1000	1000
53	1000	1000
54	1000	1000
55	1000	1000
56	1000	1000
57	1000	1000
58	1000	1000
59	1000	1000
60	1000	1000
61	1000	1000
62	1000	1000
63	1000	1000
64	1000	1000
65	1000	1000
66	1000	1000
67	1000	1000
68	1000	1000
69	1000	1000
70	1000	1000
71	1000	1000
72	1000	1000
73	1000	1000
74	1000	1000
75	1000	1000
76	1000	1000
77	1000	1000
78	1000	1000
79	1000	1000
80	1000	1000
81	1000	1000
82	1000	1000
83	1000	1000
84	1000	1000
85	1000	1000
86	1000	1000
87	1000	1000
88	1000	1000
89	1000	1000
90	1000	1000
91	1000	1000
92	1000	1000
93	1000	1000
94	1000	1000
95	1000	1000
96	1000	1000
97	1000	1000
98	1000	1000
99	1000	1000
100	1000	1000

